2023/161

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री भंवरसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह
निवासी कारोली
तहसील देलदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार देलदर

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 45 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.09.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को दिनांक 23.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा आमथला के खसरा नम्बर 752 एवं खसरा संख्या 142/1219 की रिपोर्ट एवं सन् 2001 से 23.07.2023 की परिवर्तन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को दिनांक 23.07.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा आमथला के खसरा नम्बर 752 एवं खसरा संख्या 142/1219 की रिपोर्ट एवं सन् 2001 से 23.07.2023 की परिवर्तन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलदर को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner